[2019] 9 एस०सी०आर० 843

यूनियन आफ इण्डिया व अन्य

बनाम

जुनु गायरी

(2015 की सिविल अपील संख्या- 3669-3670) जुलाई 26, 2019

[न्यायमूर्ति एम०आर० शाह एवं ए०एस० बोपन्ना]

दण्ड संहिता, 1860- धारा 302- भारत का संविधान- धारा 21- उत्तरदाता- रिट याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका अनुच्छेद 21 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष यह कथन करते हुए दायर की गई कि उसके पति को सेना के जवानों द्वारा उसके रिश्तेदार के घर से उठाया गया तत्पश्चात उसे पुलिस द्वारा यह सूचना मिली की उसके पति की मृत्यु सेना से मुठभेड़ में हो गई है- उच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जाँच करने हेतु निर्देषित किया गया- जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा विशिष्ट रूप से यह पाया गया कि मृतक की मृत्यु सेना के हाथों से हुई है तथा सेना द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि मृतक की मृत्यु मुठभेड़ के दौरान हुई- तत्पश्चात उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने व सी०बी०आई० को अन्वेषण करने हेतु निर्देशित किया गया- मूल उत्तरदाता को मूल रिट याचिका कर्ता को मुआवजे के तौर पर 03 लाख रुपये प्रदान करने का निर्देश दिया गया- अपील में, निर्धारित; उच्च न्यायालय ने धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए आपराधिक मामला दर्ज कराने व सी०बी०आई० को अन्वेषण करने का का उचित निर्देश दिया है- तथा अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने उचित निर्देश दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों, साक्षियों की जाँच तथा अपीलकर्ता को अवसर देने के पश्चात निकाला गया- अपील कर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया निष्कर्ष है- उक्त परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है- जहाँ तक रिट याचिका कर्ता को मुआवजा प्रदान करने का प्रश्न है, चूंकि जिला एवं सत्र न्यायाधीश व उच्च न्यायालय द्वारा यह विशिष्ट निषकर्ष दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है- तद्नुसार, मुआवजा 03 लाख से 05 लाख रुपये बढ़ाया जाता है।

अपील निस्तारित करते हुए न्यायालय ने निर्धारित किया:

1. उच्च न्यायालय ने पीड़ित की मृत्यु के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का उचित निर्देश दिया है तथा कारित किए गए अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत सी०बी०आई० को अन्वेषण करने का उचित निर्देश दिया है। उपरोक्त के लिए, उच्च न्यायालय ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार किया है, जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट रूप से यह अभिलिखित किया गया था मृतक को सेना के जवानों

Translated by Vartika Patel, Additional Civil Judge (J.D.), Court No. 35, Shahjahanpur. J.O. Code- UP03551. This is to certify that the above information is true and correct as per my knowledge and understanding.

द्वारा दिनांक 26.08.2003 की पूर्व रात्रि में 'डी' के घर से उठाया गया था; यह कि मृतक सेना द्वारा उठाये जाने के समय से लेकर शव को प्रस्तुत करने तथा पुलिस को सौंपने तक भारतीय सेना के हिरासत में था; यह कि मृतक की मृत्यु सेना के हाथों से हुई, तथापि, सेना द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि मृतक की मौत मृतक और सेना के बीच हुई मुठेभड़ के दौरान हुई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित उपरोक्त निष्कर्ष अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने व कुछ साक्षियों की जाँच तथा यहाँ तक अपीलकर्ता को भी अवसर देने के पश्चात निकाला गया। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायलय द्वारा दण्ड प्रक्रिया की धारा 302 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने और सी०बी०आई० को जाँच करने का निर्देश देने हेतु किये गए आक्षेपित निर्णयों और आदेशों में कोई भी हस्तक्षेप करने का आधार पर्याप्त नहीं है। [पैरा 4.1] [848-जी-एच; 849-ए-डी]

2. अब जहाँ तक मूल रिट याचिका कर्ता को मुआवजे के रूप में 03 लाख रूपये देने का प्रश्न है, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और यहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है कि यहाँ पर भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है। पीड़ित की मौत के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनकी जाँच अन्तोतगत्वा सी०बी०आई० से कराई जायेगी, हालांकि यह तथ्य बना हुआ है कि सोमेस्वर गायरी की मृत्यु हो गई है तथा अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया निष्कर्ष मौजूद है। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने जो केवल तीन लाख रुपये का फैसला सुनाया, वह हमारे अनुसार, कम स्तर का है। हमारे अनुसार यदि इस स्तर पर, मुआवजे के रूप में पाँच लाख रुपये दिये जाते हैं, तो न्यायहित में होगा। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक व उसके परिवार के सदस्यों को पर्याप्त न्याय देने हेतु, हम मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 05 लाख रूपये करते हैं, जो भी अपीलकर्ताओं द्वारा गोहवाटी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को आज से चार सप्ताह के भीतर जमा किया जाएगा तथा जिसका भुगतान मूल रिट याचिकाकर्ता को उसकी उचित पहचान होने पर किया जाएगा। हमारे मुआवजे का आकलन मूल रिट याचिका कर्ता को ऐसे निदान का लाभ उठाने से नहीं रोकेगा जो उसे विधि अनुसार उपलब्ध है तथा जिसका निर्णय उसके अपने गुणदोष के आधार पर किया जाना है। [पैरा 5] [849-डी-एच]

3. चूंकि मामला बहुत पुराना है, इसलिए सी०बी०आई० को निर्देश दिया जाता है कि वह अतिशीघ्र जाँच कर उसे सम्पूर्ण करे ताकि असली दोषियों को सजा मिल सके। यह बिना वर्णन किये तथा जैसा कि जनरल आफिसर कमाण्डिंग बनाम सी०बी०आई० व अन्य, (2012) 6 एस०सी०सी० 228 में रिपोर्ट किया गया था, के मामले में कहा गया था कि जाँच एजेन्सी द्वारा आरोप पत्र दायर करने के बाद, न कि न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बाद, सेना के सक्षम प्राधिकारी को आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर यह निर्णय लेना होगा कि मुकदमा आपराधिक न्यायालय द्वारा किया जाएगा या कोर्ट मार्शल द्वारा और उक्त को तत्काल सम्बन्धित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। यदि यह विकल्प लिया जाता है कि मामले की

Translated by Vartika Patel, Additional Civil Judge (J.D.), Court No. 35, Shahjahanpur. J.O. Code- UP03551. This is to certify that the above information is true and correct as per my knowledge and understanding.

सुनवाई कोर्ट मार्शल द्वारा की जाएगी, तो उक्त कार्यवाही तत्काल आरम्भ होगी तथा विधि अनुसार शीघ्रता से पूर्ण की जाएगी। आगे यह देखा गया तथा निर्देशित किया गया है कि यदि यह विकल्प लिया जाता है कि अभियुक्त का मुकदमा आपराधिक न्यायालय में चलाया जाएगा तो सी०बी०आई० ऐसे विकल्प को प्राप्त करने के चार सप्ताह के भीतर केन्द्र सरकार को मंजूरी हेतु आवेदन करेगी तथा यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो केन्द्र सरकार ऐसे आवेदन की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त आवेदन पर अन्तिम निर्णय लेगी। यदि केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, तो आपराधिक न्यायालय मुकदमे पर कार्यवाही करेगी और उसे शीघ्रता से पूर्ण करेगी। [पैरा 7] [850-बी-ई]

जनरल आफिसर कमाण्डिंग बनाम सी०बी०आई० व अन्य,

(2006) 6 एस०सी०सी० 228 : [2012] 5 एस०सी०आर० 599- का आश्रय लिया गया।

केस लॉ रिफेरेन्स [2012] 5 एस०सी०आर० 599- का आश्रय पैरा 7 में लिया गया सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस [2019] 9 एस०सी०आर०

सिविल अपिलीय क्षेत्राधिकार : 2015 की सिविल अपील संख्या- 3669-3670

गोहवाटी उच्च न्यायालय के W.P. (Civil) No. 9709 of 2003 में दिनांक 09.06.2006 के निर्णय व आदेश तथा M.C. No. 2954 of 2007 के दिनांक 15.12.2008 के आदेश से।

अपीलार्थीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर० बालासुब्रमण्यम, मिस आकांक्षा कौल, ए०के० शर्मा, श्रीमती अनिल कटियार।

न्यायमूर्ति एम०आर० शाह द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया।

1. रिट याचिका (सी) संख्या 9709/2003 में गोहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.06.2006 के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस कर रहा हूँ, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय सोमेश्वर गायरी उर्फ सोमब्रोम की मृत्यु के सम्बन्ध में सी०बी०आई० जाँच का निर्देश दिया है तथा रिव्यू याचिका को दिनांक 05.12.2008 को खारिज किया, मूल उत्तरदाताओं- भारत संघ और अन्य ने विशेष अनुमति याचिकाओं के माध्यम से वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

2. यह कि यहाँ उत्तरदाता- श्रीमती जुनू गायरी, मृतक सोमेश्वर गायरी उर्फ सोमब्रोम की यूवा विधवा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपीलकर्ताओं- यहाँ पर मूल उत्तरदाता को उसके पति की मृत्यु के कारण और जिम्मेदार व्यक्तियों की न्यायिक जाँच करने हेतु निर्देशित करने के लिए अपीलकर्ता के विरुद्ध उचित निर्देश या आदेश हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उत्तरदाता श्रीमती जुनू गायरी ने अपने व

Translated by Vartika Patel, Additional Civil Judge (J.D.), Court No. 35, Shahjahanpur. J.O. Code- UP03551. This is to certify that the above information is true and correct as per my knowledge and understanding.

अपने परिवार के जीवन यापन के लिए 6 लाख रुपये के मुआवजे के लिए निर्देश देने हेतु भी याचना की है।

2.1 मूल रिच याचिका कर्ता की ओर से यह मामला था कि जब उसका मृत पति बिजनी पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत ग्राम कोयला मैला में अपने रिश्तेदार के घर पर था, तो उसे दिनांक 26.08.2003 को लगभग 3.00 बजे पूर्वाह्न 8 वीं मद्रास सैन्य रजीमेण्ट के कर्मियों द्वारा भबनीपुर आरमी कैम्प ले जाया गया और उसके बाद उनका कोई अता-पता नहीं लगा जबतक उन्हें अमगुरी पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी ने सूचित नहीं किया कि उनके पति की दिनांक 30.08.2003 को भबनहीपुरगाँव के पास सेना के साथ मुठभेड़ में मृत्यु हो गई।

2.2 रिट याचिका का यहाँ पर अपीलकर्ताओं- मूल उत्तरदाताओं द्वारा विरोध किया गया। मूल उत्तरदाताओं द्वारा अपने शपथ पत्र में यह कथन किया कि किसी भी नागरिक को भबनीपुर आरमी कैम्प में नहीं लाया गया था, जैसा कि मूल रिट याचिका कर्ता ने दावा किया था। उन्होंने विशिष्ट दृष्टिकोण रखा कि रिट याचिकाकर्ता का पति एक मुठभेड़ में जो कि दिनांक 30.08.2003 लगभग 3.50 बजे हुई थी, में मारा गया था।

2.3 दिनांक 04.04.2005 के आदेश के तहत, उच्च न्यायालय ने विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बोंगाईगाँव को मूल रिट याचिका कर्ता के पति, सोमेस्वर गायरी के लापता होने और मृत्यु की परिस्थितियों के सम्बन्ध में जाँच करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सभी पक्षों को उचित सूचना जारी करने और उन्हें मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान करने का भी निर्देश दिया। तत्पश्चात, आवश्यक जाँच व सभी सम्बन्धित को अवसर देने व सम्बन्धित साक्षियों की जाँच करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों की सरहाना करने के पश्चात, विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपनी आख्या में यह स्थापित किया कि मृतक सोमेस्वर गायरी को दिनांक 26.08.2003 की पूर्व रात्रि को सेना के जवानों द्वारा दिलबहादुर चेत्री के घर से उठाया गया था। विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का यह भी मत था कि मृतक को दिलबहादुर चेत्री के घर से उठाने के कार्य में असम पुलिस का कोई भी पुलिस कर्मी शामिल नहीं था। विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आगे यह भी कहा है कि मूल रिट याचिका कर्ता को मृतक के बारे में तब तक नहीं पता चला जब तक उसे बिजनी पुलिस स्टेशन द्वारा सूचित नहीं किया गया कि मृतक सेना के साथ मुठभेड़ हो गई है। प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोनों के सरहाना किये जाने पर, विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मृतक सेना द्वारा उठाये जाने के समय से लेकर शव को प्रस्तुत करने तथा पुलिस को सौपने तक भारतीय सेना के हिरासत में था। विद्वान जिला एवं सत्र

Translated by Vartika Patel, Additional Civil Judge (J.D.), Court No. 35, Shahjahanpur. J.O. Code- UP03551. This is to certify that the above information is true and correct as per my knowledge and understanding.

न्यायाधीश ने विशेष रूप से यह कहा है कि मृतक की मृत्यु सेना के हाथों से हुई, तथापि, सेना द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि मृतक की मौत मृतक और सेना के बीच हुई मुठेभड़ के दौरान हुई थी।

2.4 तत्पश्चात उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या पर, अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों तो, प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया। हालांकि यहाँ पर अपीलकर्ताओं- मूल उत्तरदाताओं द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। इसके पश्चात अपीलकर्ताओं- मूल उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या पर दी गई दलीलों पर विचार करने के पश्चात, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मृतक सोमेस्वर गायरी को सेना द्वारा किसी भी उद्देश्य से हिरासत में लिया गया था और सम्भवतः हिरासत में रहते हुए मार दिया गया। अतः उच्च न्यायालय ने विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित विशिष्ट एवं स्पष्ट निष्कर्ष के मद्देनज़र, आक्षेपित निर्णय तथा आदेश द्वारा यह निर्देष दिया कि मामले को विधि अनुसार आगे और अन्वेषण की आवश्यकता है, जिसके लिए धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया जाए। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को जाँच करने का निर्देष दिया गया ताकि वास्तविक दोषी बच न सके।

2.5 उच्च न्यायालय ने यह पाते हुए कि, यहाँ पर भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है तथा यह कि मूल रिट याचिका कर्ता एक युवा विधवा है जिसे अपने तीन स्कूल जाने वाले नाबालिग बच्चों की देखभाल करनी है तथा यह कि मृतक परिवार का एक मात्र कमाने वाला था, आगे यह निर्देष दिया कि मूल उत्तरदाता संख्या 01 व 03 भारत संघ व कमान्डेण्ट, 8 वीं मद्रास रजिमेण्ट को मृतक सोमेस्वर की मृत्यु के मुआवजे के रूप में मूल याचिका कर्ता को 03 लाख रूपये प्रदान करें।

3. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेरित निर्णयों व आदेशों से व्यथित व असंतुष्ट महसूस करते हुए, यहाँ पर अपीलकर्ताओं- मूल उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत अपील दायर की।

4. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर० बालासुब्रमण्यम, को सुना। सम्बन्धित जिला न्यायालय से प्राप्त तामीला आख्या के अनुसार उत्तरदाता पर तामीला पर्याप्त है परन्तु उत्तरदाता की ओर से किसी ने भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है।

4.1 अपीलकर्ताओं की ओर उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश व निर्णय पर विचार करने के पश्चात, हमें आक्षेपित

Translated by Vartika Patel, Additional Civil Judge (J.D.), Court No. 35, Shahjahanpur. J.O. Code- UP03551. This is to certify that the above information is true and correct as per my knowledge and understanding.

निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। उच्च न्यायालय ने सोमेस्वर गायरी उर्फ सोमब्रोम की मृत्यु के सम्बन्ध में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए आपराधिक मामला दर्ज कराने का उचित निर्देष दिया है तथा अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने सी०बी०आई० को अन्वेषण करने का उचित निर्देश दिया है। उपरोक्त के लिए, उच्च न्यायालय ने विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार किया है, जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट रूप से यह अभिलिखित किया गया था सोमेस्वर उर्फ सोमब्रोम को सेना के जवानों द्वारा दिनांक 26.08.2003 की पूर्व रात्रि में दिलबहादुर चेत्री के घर से उठाया गया था; यह कि मृतक सेना द्वारा उठाये जाने के समय से लेकर शव को प्रस्तुत करने तथा पुलिस को सौंपने तक भारतीय सेना के हिरासत में था; यह कि मृतक की मृत्यु सेना के हाथों से हुई, तथापि, सेना द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि मृतक की मौत मृतक और सेना के बीच हुई मुठेभड़ के दौरान हुई थी। विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित उपरोक्त निष्कर्ष अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने व कुछ साक्षियों की जाँच तथा अपीलकर्ता को अवसर देने के पश्चात निकाला गया। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायलय द्वारा दण्ड प्रक्रिया की धारा 302 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने और सी०बी०आई० को जाँच करने का निर्देश देने हेतु किये गए आक्षेपित निर्णयों और आदेशों में कोई भी हस्तक्षेप करने का आधार पर्याप्त नहीं है।

5. अब जहाँ तक मूल रिट याचिका कर्ता को मुआवजे के रूप में 03 लाख रूपये देने का प्रश्न है, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और यहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है कि यहाँ पर भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है। सोमेस्वर गायरी की मौत के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनकी जाँच अन्तोतगत्वा सी०बी०आई० से कराई जायेगी, हालांकि यह तथ्य बना हुआ है कि सोमेस्वर गायरी की मृत्यु हो गई है तथा अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया निष्कर्ष मौजूद है। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने जो केवल तीन लाख रुपये का फैसला सुनाया, वह हमारे अनुसार, कम स्तर का है। हमारे अनुसार यदि इस स्तर पर, मुआवजे के रूप में पाँच लाख रुपये दिये जाते हैं, तो न्यायहित में होगा। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक व उसके परिवार के सदस्यों को पर्याप्त न्याय देने हेतु, हम मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 05 लाख रूपये करते हैं, जो भी अपीलकर्ताओं द्वारा गोहवाटी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को आज से चार सप्ताह के भीतर जमा किया जाएगा तथा जिसका भुगतान मूल रिट याचिकाकर्ता को उसकी उचित पहचान होने पर किया जाएगा। हमारे मुआवजे का आकलन मूल रिट याचिका कर्ता को ऐसे निदान का लाभ उठाने से नहीं रोकेगा जो उसे विधि अनुसार उपलब्ध है तथा जिसका निर्णय उसके अपने गुणदोष के आधार पर किया जाना है।

Translated by Vartika Patel, Additional Civil Judge (J.D.), Court No. 35, Shahjahanpur. J.O. Code- UP03551. This is to certify that the above information is true and correct as per my knowledge and understanding.

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताये गए कारणों के आलोक में आपराधिक मामला दर्ज करने और सी०बी०आई० को जाँच का निर्देश देने हेतु उच्च न्यायालय दिए गए आक्षेपित निर्णयों और आदेशों को चुनौती देने वाली वर्तमान अपीले खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

7. चूंकि मामला बहुत पुराना है, इसलिए सी०बी०आई० को निर्देश दिया जाता है कि वह अतिशीघ्र जाँच कर उसे सम्पूर्ण करे ताकि असली दोषियों को सजा मिल सके। यह बिना वर्णन किये तथा जैसा कि जनरल आफिसर कमाण्डिंग बनाम सी०बी०आई० व अन्य, (2012) 6 एस०सी०सी० 228 में रिपोर्ट किया गया था, के मामले में कहा गया था कि जाँच एजेन्सी द्वारा आरोप पत्र दायर करने के बाद, न कि न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बाद, सेना के सक्षम प्राधिकारी को आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर यह निर्णय लेना होगा कि मुकदमा आपराधिक न्यायालय द्वारा किया जाएगा या कोर्ट मार्शल द्वारा और उक्त को तत्काल सम्बन्धित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। यदि यह विकल्प लिया जाता है कि मामले की सुनवाई कोर्ट मार्शल द्वारा की जाएगी, तो उक्त कार्यवाही तत्काल आरम्भ होगी तथा विधि अनुसार शीघ्रता से पूर्ण की जाएगी। आगे यह देखा गया तथा निर्देशित किया गया है कि यदि यह विकल्प लिया जाता है कि अभियुक्त का मुकदमा आपराधिक न्यायालय में चलाया जाएगा तो सी०बी०आई० ऐसे विकल्प को प्राप्त करने के चार सप्ताह के भीतर केन्द्र सरकार को मंजूरी हेतु आवेदन करेगी तथा यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो केन्द्र सरकार ऐसे आवेदन की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त आवेदन पर अन्तिम निर्णय लेगी। यदि केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, तो आपराधिक न्यायालय मुकदमे पर कार्यवाही करेगी और उसे शीघ्रता से पूर्ण करेगी।

8. उपरोक्त टिप्पणियों एवं निर्देशों के साथ, वर्तमान अपीलों का निस्तारण किया जाता है। अपील निस्तारित।

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पंत्राक संख्या- 14088/ SUVAS Cell/ S.J.O./ Allahabad Dated 30.10.2023 के अनुपालन में उपरोक्त निर्णय का हिन्दी अनुवाद मेरे द्वारा किया गया है।

भवदीया,

(वर्तिका पटेल),
अपर सिविल जज (जू०डि०)/ जे०एम०,
कोर्ट संख्या- 35, शाहजहाँपर।
J.O. Code- UP03551

Translated by Vartika Patel, Additional Civil Judge (J.D.), Court No. 35, Shahjahanpur. J.O. Code- UP03551. This is to certify that the above information is true and correct as per my knowledge and understanding.